रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052021-226977
CG-DL-E-12052021-226977

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1721] नई दिल्ली, बुधवार, मई 12, 2021/वैशाख 22, 1943
No. 1721] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 12, 2021/VAISAKHA 22, 1943

India Code

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2021

का.आ. 1848(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पूर्ववर्ती पर्यावरण और वन मंत्रालय की दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ) के अनुसरण में, (इसके पश्चात इसे उक्त अधिसूचना के रूप में कहा जाएगा) और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का. आ. 4001 (अ) को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए), आंध्र प्रदेश (इसके पश्चात इस अधिसूचना में इसे उक्त प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश कहा गया है) का निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करते हुए गठन करती है, अर्थात :—

1.	श्री पी. वेंकटा रामी रेड्डी, आईएएस (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष;
2.	डॉ. थातीपारथी बैरागी रेड्डी, प्राध्यापक, पर्यावरण विज्ञान विभाग, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम	सदस्य;
3.	सरकार के विशेष सचिव, ईएफएसएंडटी विभाग, आंध्र प्रदेश सचिवालय, वेलगपुडी	सदस्य सचिव

2. प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की समयावधि के लिए कार्यभार संभालेंगे।

3. प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

4. प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी) की सिफ़ारिशों पर अपना निर्णय लेगा।

5. प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश, की सहायता के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) (इसके पश्चात एसईएसी, आंध्र प्रदेश कहा जाएगा) का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :

1.	डॉ. जी.वी.आर. श्रीनिवास राव, प्राध्यापक सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम	अध्यक्ष ;
2.	डॉ. दिनेश शंकर रेड्डी रजिस्ट्रार (आई/सी), प्राध्यापक रसायन इंजीनियरिंग, एनआईटी, ताडेपल्लीगुडम, पश्चिम गोदावरी	सदस्य ;
3.	प्रो. जी.ज्ञान मणि, (सेवानिवृत) प्राध्यापक प्राणी विज्ञान, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम	सदस्य ;
4.	प्रो. यू. शमीम अध्यक्ष, प्राणी विज्ञान का बीओएस विभाग, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम	सदस्य ;
5.	डॉ. किरणमय, सहायक प्राध्यापक, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विक्रम सिंहपुरी विश्वविद्यालय, नेल्लोर जिला	सदस्य ;
6.	प्रो. सी. ससीधर प्राध्यापक सिविल इंजीनियरिंग, जेएनटीयू, अनंतपुर	सदस्य ;
7.	प्रो. एन. शिव प्रसाद रेड्डी, निदेशक (शिक्षाविद), बृंदावन प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, कुरनूल	सदस्य ;
8.	प्रो. डी.भारती, प्राध्यापक जैव विज्ञान और सेरीकल्चर विभाग श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति	सदस्य ;
9.	श्री कटामनेनी वेंकट रमण, अध्यक्ष, खनन विभाग, सरकारी पॉलिटेक्निक, नरसीपट्टनम	सदस्य ;
10.	डॉ. एम. सुनंदना रेड्डी, सहायक प्राध्यापक, आरजीएम अभियांत्रिकी और प्रोद्योगिकी कॉलेज (स्वायतशासी), नंद्याल	सदस्य ;
11.	श्री मतली चन्द्रशेखर प्राध्यापक, अध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग विभाग एनआईटी, वारंगल	सदस्य ;
12.	डॉ. जी माधवी, सहायक प्राध्यापक	सदस्य ;

IndiaCode

	रसायन विज्ञान विभाग, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति	
13.	प्रो. के. त्याग राजू, प्राध्यापक, जैव रसायन विभाग एस.वी. विश्वविद्यालय, तिरुपति	सदस्य ;
14.	डॉ. गुम्मल्ला प्रशांति प्राध्यापक, विजया औषधीय विज्ञान संस्थान, विजयवाड़ा	सदस्य ;
15.	मुख्य पर्यावरण अभियंत्रक, आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य सचिव

6. एस ई ए सी, आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की समयावधि के लिए कार्यभार संभालेंगे।

7. एस ई ए सी, आंध्र प्रदेश उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

8. एसईएसी, आंध्र प्रदेश सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सहमति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और यदि सहमति प्राप्त नहीं हो सकती, बहुमत का विचार अभिभावी होगा।

9. हितों के किसी विवाद से बचने के लिए :

(क) प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश और एस ई ए सी, आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्शी संगठन और किस परियोजना प्रस्तावक के साथ जुड़े हुए हैं।

(ख) प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश और एस ई ए सी, आंध्र प्रदेश अपने कार्य अवधि के दौरान प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश और एस ई ए सी, आंध्र प्रदेश द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाली किसी परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने में न तो कोई परामर्श देंगें, न ही उससे जुड़ेंगे; और

(ग) यदि गत पाँच वर्षों में प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश और एस ई ए सी, आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष या कोई सदस्य किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए कोई परामर्शी सेवा प्रदान करते हैं या ईआईए अध्ययनों का संचालन करते हैं, ऐसी स्थिति में वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश और एसईएसी, आंध्र प्रदेश की बैठकों में स्वयं सम्मिलित होने से बचेंगे।

10. प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश और एस ई ए सी, आंध्र प्रदेश के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार एक अभिकरण को अधिसूचित करेगी और जो इस सचिवालय के सभी सांविधिक कार्यों के संबंध में सभी वित्तीय और संभार तंत्र सहायता प्रदान करेगा जिसमें आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाएं सम्मिलित हैं।

11. प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश और एस ई ए सी, आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक शुल्क, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

[फा. सं. जे-11013/36/2007.आईए-II(I)]

जिगमेत टक्पा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2021

S.O. 1848(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O. 4001(E), dated the 20th December, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Andhra Pradesh (hereinafter referred to as the Authority, Andhra Pradesh) comprising of the following Members, namely: -

1.	Sri P. Venkata Rami Reddy, IAS (Retd.)	Chairman;
2.	Dr. Thatiparthi Byragi Reddy Professor. Department of Environmental Sciences, Andhra University, Visakhapatnam	Member;
3.	Special Secretary to Government, EFS&T Department, A.P. Secretariat, Velagapudi.	Member Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Andhra Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Andhra Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Andhra Pradesh shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted under paragraph 5 for the State of Andhra Pradesh.

5. For the purpose of assisting the Authority, Andhra Pradesh, the Central Government in consultation with the State Government of Andhra Pradesh, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) (hereinafter referred to as SEAC, Andhra Pradesh) comprising of the following Members, namely: -

1.	Dr. G. V. R. Srinivasa Rao, Professor, Civil Engineering Department, Andhra University, Visakhapatnam	Chairman;
2.	Dr. Dinesh Sankar Reddy Registrar (I/C), Professor of Chemical Engineering, NIT, Tadepalligudem, West Godavari	Member;
3.	Prof. G. Gnana Mani, Retd., Professor of Zoology, Andhra University, Visakhapatnam	Member;
4.	Prof. U. Shameem. Chairman, BoS Dept. of Zoology, Andhra University, Visakhapatnam	Member;
5.	Dr. Kiranmai, Assistant Professor, Dept. of Bio Technology, Vikrama Simhapuri University, Nellore District	Member;
6.	Prof. C. Sasidhar	Member;

	Professor of Civil Engineering, JNTU, Anantapur	
7	Prof. N. Siva Prasad Reddy, Director (Academics), Brindavan Institute of Technology & Science, Kurnool	Member;
.8.	Prof. D. Bharathi, Professor Dept. of Bio Sciences & Sericulture, Sri Padmavathi Mahila Viswa Vidhyalayam, Tirupathi	Member;
9.	Sri Katamneni Venkata Ramana, Head of Mining Dept. Government Polytechnic, Narsipatnam	Member;
10.	Dr. M. Sunandana Reddy, Associate Professor, RGM College of Engineering & Technology (Autonomous), Nandyal.	Member;
11.	Sri Matli Chandra Sekhar Professor, Head of Department of Civil Engineering, NIT, Warangal	Member;
12.	Dr. G. Madhavi, Associate Professor Department of Chemistry, Sri Venkateswara University, Tirupathi	Member;
13.	Prof. K. Thyaga Raju, Professor of Bio-Chemistry, S. V. University, Tirupathi	Member;
14.	Dr. Gummalla Prasanthi Professor, Vijaya Institute of Pharmaceutical Sciences, Vijayawada.	Member;
15.	Chief Environmental Engineer, Andhra Pradesh Pollution Control Board.	Member Secretary.

IndiaCode

6. The Chairman and Members of SEAC, Andhra Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Andhra Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC, Andhra Pradesh shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. In order to avoid any conflict of interest -

(a) the Chairman and Members of the Authority, Andhra Pradesh and SEAC, Andhra Pradesh shall declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) the Chairman and Members of the Authority, Andhra Pradesh and SEAC, Andhra Pradesh shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environmental Impact Assessment (EIA) Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Andhra Pradesh and SEAC, Andhra Pradesh during their tenure; and

(c) if in the past five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Andhra Pradesh and SEAC, Andhra Pradesh have provided consultancy services or conducted EIA studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meeting of the Authority, Andhra Pradesh and SEAC, Andhra Pradesh in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

10. The Government of Andhra Pradesh shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Andhra Pradesh and SEAC, Andhra Pradesh and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

11. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Andhra Pradesh and SEAC, Andhra Pradesh shall be paid as per the rules of the State Government of Andhra Pradesh.

[F. No. J-11013/36/2007-IA.II(I)]

JIGMET TAKPA, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.05.12 18:23:14 +05'30'